

12/07
24

वकील डिफेंडर अपीलत | यह इजरायल
न्यायालय माननीय नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पति
राजेश वकील अधिकारी की अपील संख्या 32/08
अनुवाक रामलाल आदि बनाम • अजीम अली
सार्वजनिक निर्माण विभाग सूफ व फल से पारित
निर्णय दिनांक 12/12/12 के आख्यार पर दायी
कराके गये हैं। उक्त निर्णय की तकल की
जोसेप्री पत्रावली के सलजत हैं जिसेक अनुसार
मूल दावा न्यायालय हाजा को रिहाण्ड किया
गया है। रिहाण्ड होके के कारण इसी
पुनः निर्णय होना जा। फलतः यह इजरायल
पत्रावली चलैत भोजन नही है इसीलए
इसी तरह पर खारिज की जारी है।

पत्रावली निर्णय से मुफ्त लेकर
दाखिल करार है। 9